बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

स0स0 यो0स्था01/1–27/2018– 955 /यो0वि0,पटना,दिनांक 20 फरवरी, 2019

संकल्प

विषय :– **बिहार योजना सेवा, बिहार सांख्यिकी सेवा तथा बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा के उच्चतम वेतनमान् के पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन।**

योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार योजना सेवा, बिहार साख्यिकी सेवा तथा बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा के उच्चतम वेतनमान् के पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना की अध्यक्षता में प्रोन्नति समिति निम्न प्रकार से गठित की जाती है :–

1	बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा मनोनित एक सदस्य	अध्यक्ष
2	प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
3	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि के रूप में नामित पदाधिकारी	सदस्य
4	बिहार योजना सेवा/बिहार सांख्यिकी सेवा स्थापना/बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा के स्थापना के वरीय प्रभारी पदाधिकारी	सदस्य
5	मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार, पटना	सदस्य
6	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी	सदस्य
7	योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा मनोनित अल्पसख्यक समुदाय के एक पदाधिकारी	सदस्य

पूर्व मे इस संबंध मे निर्गत विभागीय परिपत्र/संकल्प/अधिसूचना को इस हदतक संशोधित समझा जाए।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)
अपर सचिव

ज्ञापाक. यो0स्था01/1–27/2018– 955 /यो0वि0,पटना,दिनाक 20 फरवरी, 2019

प्रतिलिपि: अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, योजना एव विकास विभाग/निदेशक, अर्थ एव साख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना/अपर सचिव/संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापाक. यो0स्था01/1–27/2018– 955 /यो0वि0,पटना,दिनाक 20 फरवरी, 2019

प्रतिलिपि– अधीक्षक, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को (सी0डी0 के साथ) राजपत्र के अगले अक मे प्रकाशनार्थ/अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0मैनेजर, योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना को (विभगीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)/सभी पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव